राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11367/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जगदीश प्रसाद सोनी पुरानी दिल्ली रोड, बडौदा बैंक के सामने, शाहपुरा जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यालय जयपुर जिला समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, जिला परिषद भवन, कलैक्ट्रेट के पास जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-03-2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-5-16 के द्वारा पुर्नविवाहित श्रीमती कविता सोनी की बच्चियों के पालनार्थ प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा पालनहार योजनान्तर्गत श्रीमती सुशीला सोनी के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर , ब्रांच शाहपुरा के खाते में दिनांक 5-2-14 को रु. 9850/- तथा 2133/- जिस बिल/आदेश के तहत जमा करवाये गये उस आदेश की प्रति आदि 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
4. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र दिनांक 11-12-17 मय संलग्नक प्रेषित किया है, प्रति आयोग को पृष्ठांकित की है से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना का प्रेषण किया जा चुका है।
5. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
6. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त